(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF THE DELHI GAZETTE-EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS)
8TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

No.F.14(14)/LA-2009/lclaw/2010/86 Dated 29th the January, 2010

NOTIFICATION

No.F.14(14)/LA-2009/lclaw/2010/39 - The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on 23rd January, 2010 and is hereby published for general information:-

"THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (INCREDIBLE INDIA) BED AND BREAKFAST ESTABLISHMENTS (REGISTRATION AND REGULATION) (AMENDMENT) ACT, 2009
(DELHI ACT 03 OF 2010)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 16th December, 2009)

[23rd January, 2010]

An Act to amend The National Capital Territory of Delhi (Incredible India) Bed and Breakfast Establishments (Registration and Regulation) (Amendment) Act, 2007

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title, extent and commencement.** - (1) This Act may be called the National Capital Territory of Delhi (Incredible India) Bed and Breakfast Establishments (Registration and Regulation) (Amendment) Act, 2009.

(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

2. **Amendment of section 2.-** In the National Capital Territory of Delhi (Incredible India) Bed and Breakfast Establishments (Registration and Regulation) Act, 2007 (Delhi Act 11 of 2007) (hereinafter referred to as "the principal Act")-

(a) after clause (i), the following clause shall be inserted, namely:-

"(i a) "food" includes the breakfast which is provided to the guests by the owner without any extra charges;";

(b) for clause (m) defining the term "owner", the following clause shall be substituted, namely:-

"(m) "owner" means the owner of the establishment and includes a person who, for the time being, has been authorized by the owner through a legal document duly registered to be incharge of the management of the establishment at least for a period of four years from the date of application for registration under this Act;".

4. Amendment of section 3.- In the Principal Act, in section 3, in sub-section (2), for clauses (a) and (b), the following clauses shall respectively be substituted, namely:-

"(a) that the premises is purely a residential unit and the owner has been physically residing therein alongwith his family and having at least one of the following documents as his proof of residence, such as voter identity card or passport or driving license or ration card;

(b) that the owner shall let out to the guests not more than two thirds of the total bed rooms consisting of minimum one double bed room and maximum six double bed rooms:

Provided that if in a premises different portions are leased out or rented out to different persons by the owner, maximum of six double bed rooms of the premises irrespective of the number of tenants may be registered under this Act"."

S Rao.

(Savita Rao)

Joint Secretary (Law, Justice & L.A.)

(दिल्ली राजपत्र भाग–4 (असाधारण) में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)
आठवां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली–110002.

सं0फा0 14 (14)/एल.ए.–2009/एलसी लॉ/2010/38 दिनांक 27 जनवरी, 2010

अधिसूचना

सं0फा0 14 (14)/एल.ए.–2009/एलसी लॉ/2010/38 – राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल की दिनांक 23 जनवरी, 2010 को मिली सहमति के पश्चात् दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण की सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है :–

" राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अतुल्य भारत) भोजन तथा शयन कक्ष संस्थापना (पंजीकरण एवं विनियम)(संशोधन) अधिनियम, 2009

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अतुल्य भारत) भोजन तथा शयन कक्ष संस्थापना (पंजीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 में संशोधन के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। 1.(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अतुल्य भारत) भोजन तथा शयन कक्ष संस्थापना (पंजीकरण एवं विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2009 है ।

(2) यह सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होगा ।

(3) यह उस तारीख से प्रवृत होगा जो सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें ।

धारा 2 का संशोधन । 2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अतुल्य भारत) भोजन तथा शयन कक्ष संस्थापना(पंजीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2007(2007 का दिल्ली अधिनियम 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 में,–

(क) खंड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात्:–

"(झ क) "भोजन" में केवल प्रातःकाल का नाश्ता सम्मिलित है जो बिना किसी अतिरिक्त प्रभारों के स्वामी द्वारा अतिथि को उपलब्ध कराया जाता है; " ;

(ख) खंड (ड) में परिभाषित शब्द "स्वामी" के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"स्वामी" का अर्थ संस्थापना के मालिक से है तथा इसमें इस अधिनियम के अधीन पंजीकरण के लिये आवेदन की तारीख से कम से कम चार वर्ष की अवधि के लिये संस्थापना के प्रभारी के रूप में मालिक द्वारा प्राधिकृत, कानूनी दस्तावेजों द्वारा विधिवत् पंजीकृत, व्यक्ति शामिल है; " ।

धारा 3 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) में खंड (क) तथा (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंडों को क्रमशः प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(क) कि परिसर पूर्णतः एक आवासीय यूनिट है तथा स्वामी उसमें अपने परिवार के साथ वास्तविक रूप से रह रहा है और निम्नलिखित दस्तावेजों जैसे मतदाता पहचान पत्र अथवा पासपोर्ट अथवा ड्राइविंग लाइसेंस अथवा राशन कार्ड में से कम से कम एक दस्तावेज आवासीय प्रमाण के रूप में उसके पास हो;

(ख) कि स्वामी कुल शयन कक्षों के दो तिहाई से अधिक भाग अतिथियों को नहीं देगा जिसमें कम से कम एक डबल बैड रूम तथा अधिकतम छह डबल बैड रूम होने चाहिए :

उपबंध है कि यदि किसी परिसर में विभिन्न भाग पट्टे पर दिए गए हो या स्वामी द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को किराए पर दिए गए हो तो किराएदारों की संख्या का लिहाज किए बिना परिसर के अधिकतम छह डबल बैड रूम अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किए जाए; " ।"

सविता राव

(सविता राव)
संयुक्त सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)